कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर, 04–सुभाष रोड़ देहरादून।
टेलीफोन– 0135–2713551, 2713552 एवं 2713724
Email ID = election09@gmail.com & ceo_uttaranchal@eci.gov.in

संख्या– 167/XXV– 01 / 2024 दिनांकः देहरादून 13 जनवरी, 2024

–: शुद्धि पत्र (Corrigendum):–

लोक सभा के आगामी सामान्य निर्वाचन हेतु मतदेय स्थलों के प्रयोगार्थ विभिन्न प्रकार के सांविधिक एवं असांविधिक प्रपत्रों, लिफाफों, रजिस्टर, मतदाता पर्ची की छपाई–आपूर्ति हेतु निविदा सूचना संख्या–11 दिनांक 01 जनवरी, 2024 के साथ संलग्न निविदा संख्या–23 दिनांक 02 जनवरी, 2024 एवं तद्क्रम में संशोधित निविदा संख्या–165 दिनांक 13 जनवरी, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त निविदा में निम्न प्रकार आंशिक संशोधन करने के मुझे निदेश प्राप्त हुए हैं।

उक्त निविदा के द्वारा निम्नलिखित दो अलग–अलग कार्यों के लिए एक ही निविदा के माध्यम से अलग–अलग BOQ में वित्तीय निविदा आमंत्रित की गयी है:–

1– **"विभिन्न प्रकार के सांविधिक एवं असांविधिक प्रपत्रों–रजिस्टर एवं मतदाता पर्ची की छपाई–आपूर्ति"** BOQ1 में, तथा

2– **"विभिन्न प्रकार के सांविधिक एवं असांविधिक लिफाफों की छपाई–आपूर्ति"** हेतु BOQ2 में।

2– कोई भी इच्छुक निविदा–दाता दोनों कार्यों के लिए अपनी निविदा प्रस्तुत कर सकता है, किन्तु इस बात का ध्यान रखा जाय कि किसी भी BOQ में किसी भी Item की दर को खाली नहीं छोड़ा जाएगा, अर्थात BOQ में अंकित प्रत्येक Item के लिए दरें प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

3– परन्तु यदि कोई इच्छुक निविदा–दाता उक्त दो में से किसी एक कार्य/एक भाग के लिए अपनी निविदा प्रस्तुत करता है तो ऐसे किसी भी निविदा–दाता को, निविदा के उस भाग के BOQ में अपनी दरें जीरो (0) अंकित करनी होगी जिसके लिए वह निविदा प्रस्तुत नहीं कर रहा है।

उदाहरणार्थ :– (1)–यदि कोई निविदा–दाता केवल **विभिन्न प्रकार के सांविधिक एवं असांविधिक प्रपत्रों–रजिस्टर एवं मतदाता पर्ची की छपाई–आपूर्ति"** के लिए ही अपनी निविदा प्रस्तुत कर रहा है तो ऐसे किसी भी निविदा–दाता को BOQ1 में अपनी दरें प्रस्तुत करनी होंगी, परन्तु ऐसे निविदा–दाता को BOQ2 में भी Zero (0) दरें अंकित करनी अनिवार्य होंगी।

(2)– यदि कोई निविदा–दाता केवल **"विभिन्न प्रकार के सांविधिक एवं असांविधिक लिफाफों की छपाई–आपूर्ति"** के लिए ही अपनी निविदा प्रस्तुत कर रहा है तो ऐसे किसी भी निविदा–दाता को BOQ2 में अपनी दरें प्रस्तुत करनी होंगी, परन्तु ऐसे निविदा–दाता को BOQ1 में भी Zero (0) दरें अंकित करनी अनिवार्य होंगी।

(3)– यदि कोई इच्छुक निविदा–दाता उक्त निविदा के दोनों भाग के लिए अपनी निविदा प्रस्तुत करता है तो ऐसे निविदा–दाता को BOQ1 तथा BOQ2 में अपनी दरें प्रस्तुत करनी होंगी। BOQ की प्रत्येक Item में दर अंकित करनी अनिवार्य होगी।

कृपया उक्तानुसार उल्लिखित निविदा को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।